छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, डी के एस भवन, रायपुर 492 001

क्रमांक– 278/04/1/6 रायपुर, दिनांक 26/2/04

प्रति,

1. शासन के समस्त विभाग
छत्तीसगढ़ शासन

2. समस्त विभागाध्यक्ष
छत्तीसगढ़

3. समस्त कलेक्टर
छत्तीसगढ़

विषय– छत्तीसगढ़ नागरिक सेवा (इलेक्ट्रॉनिक अधिशासन) नियम, 2003 अंतर्गत जारी प्रमाण पत्र बाबद्।

संदर्भ– छत्तीसगढ़ शासन, उद्योग (सूचना प्रौद्योगिकी) विभाग की अधिसूचना क्रमांक 806/पीएस/एसआईटी/2003/चॉइस दिनांक 19 अगस्त 2003।

सूचना प्रौधोगिकी अधिनियम, 2000 के अनुक्रम में राज्य शासन द्वारा लागू किये गये छत्तीसगढ़ नागरिक सेवा (इलेक्ट्रॉनिक अधिशासन) नियम, 2003 के अंतर्गत चॉइस परियोजना के माध्यम से संचालित विभिन्न नागरिक सेवाओं के प्रमाण–पत्र एवं अभिलेख नागरिकों को जारी किये जा रहे हैं। इस पत्र के साथ छत्तीसगढ़ नागरिक सेवा (इलेक्ट्रॉनिक अधिशासन) नियम, 2003 प्रेषित हैं।

शासकीय कार्यालयों से जारी प्रमाण–पत्र एवं अभिलेख, इन नियमों के अंतर्गत नियुक्त चॉइस एजेंट के हस्ताक्षर द्वारा प्रमाणित कर प्रदान करने का कार्य इन नियमों के अधीन किया जा रहा है।

सूचना प्रौधोगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 4 के अंतर्गत ऐसे सभी प्रकरणों में जहां लिखित एवं मुद्रित अभिलेखों की आवश्यकता होती है, के स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को वैधानिक मान्यता प्रदान की गई है। ऐसे अभिलेख के सत्यापन हेतु डिजिटल हस्ताक्षर का प्रावधान है।

राज्य शासन के कतिपय कार्यालयों द्वारा चॉइस एजेंट द्वारा जारी किये जा रहे प्रमाण पत्र को मान्यता न देने तथा केवल पारम्परिक प्रक्रिया से जारी प्रमाण पत्र चाहे गये हैं, जो उचित नहीं है। इस संबंध में कृपया संलग्न जन्म प्रमाण पत्र का अवलोकन करें जिसमें इसकी वैधता ज्ञात करने की प्रक्रिया दर्शाई गई है, जिससे प्रमाणिकता ज्ञात की जा सकती है।

कृपया अधीनस्थ कार्यालयों को इस विषय में अवगत कराते हुए नियमों का पालन सुनिश्चित कराएं।

संलग्न– उपरोक्तानुसार

पंकज द्विवेदी 23/2
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग